

रॉची समाहरणालय रॉची

(विकास शाखा)

विधायक निधि(जल समृद्धि मद)

माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुरासित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियन्ता, जिला परिषद् रॉची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुरासा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त, रॉची द्वारा निम्नांकित राशियों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो, निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयत भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यन्वयन जिला अभियन्ता, जिला परिषद् रॉची करेगा एवं कार्य को 03 (तीन) माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन सहायक अभियन्ता/जिला अभियन्ता, जिला परिषद् रॉची समुचित तकनीकी निर्देशों में कार्य को पूर्ण करायेगा।
6. स्वीकृत राशि जिला अभियन्ता, जिला परिषद् रॉची, उप विकास आयुक्त, रॉची से प्राप्त करेगा एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेगा।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगा।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्क० राशि (लाख में)	प्रशा०स्वी० राशि (लाख में)	विमुक्त की जाने वाली राशि
1	बेड़ो प्रखण्ड के दोरदा तालाब में धाट निर्माण	8.00	8.00	8.00
2	छोत्रदा रेलवे लाईन में तालाब निर्माण	3.00	3.00	3.00
				11.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:- 11.00 (कुल <sup>11</sup> लाख पचास हजार रुपये)

विमुक्त राशि:- 11.00 (कुल <sup>11</sup> लाख पचास हजार रुपये)

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेगा।

उप विकास आयुक्त,  
रॉची।

ज्ञापक..... 477/0i...../वि० दिनांक..... 06/05/10.....

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन/ जिला अभियन्ता, जिला परिषद् रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाज़ीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,  
रॉची।



रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
मुख्यमंत्री विकास योजना (विशेष अंगीकृत)

माननीय श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची का होगा जो अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	लपरा राम किशुन यादव के घर से लपरा बाजार जाने के रास्ते में पी०सी०सी० पथ निर्माण	6.00	6.00	6.00
2.	रांची कमई सम्पूर्णनन्द कॉलोनी के दक्षिण भाग में पी०सी०सी० पथ निर्माण	6.00	6.00	6.00
				12.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-12.00 (कुल बारह लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि :-12.00 (कुल बारह लाख रुपये मात्र)

नोट-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची।

झापांक-487/11/15 रांची दिनांक-12/05/15

प्रतिलिपि- माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।  
1115



**रांची समाहरणालय,रांची**  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
**मुख्यमंत्री विकास योजना ( जल समृद्धि मद)**

माननीय श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उपायुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची का होगा जो अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची उप विकास आयुक्त,रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	लपरा कोनका पथ से नाला तक पक्की नाली निर्माण	6.00	6.00	6.00
2.	हेसालींग तालाक में घाट निर्माण	6.00	6.00	6.00
3.	लपरा राजीव नगर में चापाकल निर्माण	0.45	0.45	0.45
4.	कोनका में भारद्वाज के घर के समीप चापानल निर्माण	0.45	0.45	0.45
5.	राँची मोराबादी में फनेश्वर तिवारी के घर के पास चापाकल नि०	0.45	0.45	0.45
6.	ग्राम पिरा राँची में सियाशरण तिवारी के मकान के समीप चापानल	0.45	0.45	0.45
7.	खेलारी में मुक्ति गिरि के घर के पास चापानल नि०	0.45	0.45	0.45
8.	खेलारी में एच०के. दूबे के घर के पास चापानल नि०	0.45	0.45	0.45
9.	कोनका ग्राम स्थित डॉ० राजकुमार के घर के समीप चापाल नि०	0.45	0.45	0.45
10.	देवीमण्डल रोड में तालाब के पास नाली निर्माण	4.00	4.00	4.00
11.	कलथरवा मनतोरणी देवी के घर के स्कूल के पास चापाकल नि०	0.45	0.45	0.45
12.	शेखर बोस के घर से नाला तक पक्की नाली नि०	1.95	1.95	1.95

21.55

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-21.55(कुल एककीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि :-21.55 (कुल एककीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र)

नोट:-1. योजनाओ का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ज्ञापक-488/ राँची दिनांक: 12/05/10

उप विकास आयुक्त, रांची।

प्रतिलिपि- माननीय विधायक श्री जे०पी० गौलस्टन / कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II  
रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।  
715

रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
विशेष अंगीभूत ( सामान्य मद)

माननीय श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची का होगा जो अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	विशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल नामकुम में डीप बोरिंग का कार्य	3.00	3.00	3.00
2.	के०डी०न्यू कॉलोनी में नाला किनारे गार्डवाल निर्माण	5.00	5.00	5.00
3.	एन०एच०-23 सतीश चौक से भवरो टोली बरेरा सीटी तक ग्रेड-1 पथ मरम्मत एवं मोरमीकरण	8.00	8.00	8.00
4.	कोनका लपरा मुख्य पथ से कोनका स्कूल तक ग्रेड-1 पथ निर्माण एवं मोरमीकरण	2.00	2.00	2.00
5.	के०डी०न्यू कॉलोनी में नाला पर आर०सी०सी० कलमर्ट निर्माण	3.00	3.00	3.00
6.	डानकास्को स्कूल से किटुन भुइया के घर तक नाली सनिर्माण	3.00	3.00	3.00

24.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-24.00 (कुल चौबीस लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि :-24.00 (कुल चौबीस लाख रुपये मात्र)

नोट-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

Est

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापक-489 (ii) रांची दिनांक-12/05/14

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।



रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
विधायक निधि (जल समृद्धि मद)

माननीय श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-२ रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-२ रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-२ रांची का होगा जो अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-२ रांची उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1..	मैक्लुस्कीगंज थाना के समीप डीप बोरिंग तथा जल वितरण का कार्य	3.00	3.00	3.00
2..	लपरा मैदान के समीप चापाकल का निर्माण	0.45	0.45	0.45
3.	लपरा रामेश्वर साव के नजदीक चापाकल निर्माण	0.45	0.45	0.45
4..	लपरा कोनका पथ में बगीचा के समीप चापाकल निर्माण	0.45	0.45	0.45
				4.35

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-4.35(कुल चार लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि :-4.35(कुल चार लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)

नोट:-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-512(ii) रांची दिनांक-15/05/10

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-२ रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।



रांची समाहरणालय,रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
विधायक निधि ( जल समृद्धि मद)

माननीय श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि शैथिली भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची का होगा जो अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची उप विकास आयुक्त,रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	धुर्वा नाला साइड नाला पर गार्डवाल निर्माण	2.50	2.50	2.50
2.	दलादली में तालाब में घाट निर्माण	6.00	6.00	6.00
3.	मैक्लुस्कीगंज में ईसाई कब्रिस्तान के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
4.	मैक्लुस्कीगंज में विकास नगर में मुनु चौधरी के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
5.	लपरा ग्राम में विवेकागिरि के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
6.	लपरा ग्राम बसंत ठाकुर के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
7.	लपरा ग्राम राम किशन यादव के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
8.	लपरा कोनका पथ के बीच चापाकल	0.45	0.45	0.45
9.	अपोजीत एनी बेसेट स्कूल हरमू रांची एम०के० सिंहा एन०आई०-६८ के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
10.	विधानगर पश्चिम हरमू गोपालजी ठाकुर के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
11.	ललित ग्राम रातू काठी टॉड मिश्रा जी वकील के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45
12.	लपरा चामा मुख्य पथ सहदेव गंजू के घर के पास चापाकल	0.45	0.45	0.45

13.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-13.00(कुल तेरह लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि :-13.00(कुल तेरह लाख रुपये मात्र)

नोट:-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।



उप विकास आयुक्त, रांची।

झापांक-513<sup>iv</sup> / रांची

दिनांक-17/05/18

प्रतिलिपि- माननीय विधायक श्री जे०पी० गोलस्टन / जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

190  
14/5/18

9/19/5  
उप विकास आयुक्त, रांची।

**राँची समाहरणालय राँची**  
**(विकास शाखा)**

**विधायक निधि(सामान्य मद)**

माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलाोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त, राँची द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो, निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयत भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यन्वयन जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची करेंगे एवं कार्य को 03 (तीन) माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन सहायक अभियन्ता/जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची, उप विकास आयुक्त, राँची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख की योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई तो इस योजना को स्वयंित करत हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्क० राशि (लाख में)	प्रशा०स्वी० राशि (लाख में)	विमुक्त की जाने वाली राशि
1	धुर्वा मुख्या पथ में ट्रान्सॉरमर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण	3.50	3.50	3.50
2	रातु पथ में पाण्डेय जी के घर तक 1 कि०मी० ग्रेड-1 पथ निर्माण	8.00	8.00	8.00
3	कुसुम बिहार रोड नं०-5 अशाक शर्मा के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण	1.00	1.00	1.00
4	पण्डरा फेन्डस कॉलोनी में उपेन्द्र सिंह के दूकान से केशरीकांत शर्मा के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण	2.00	2.00	2.00
5	स्वामी पूर्णानन्द कॉलोनी कमड़े के राप भाग में पी०सी०सी० पथ निर्माण	5.00	5.00	5.00

19.50

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:- 19.50(कुल उन्नीस लाख पचास हजार रूपये)

विमुक्त राशि:- 19.50(कुल उन्नीस लाख पचास हजार रूपये)

**नोट:-** 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

*Ech*

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

जापांक.....47260...../वि० दिनांक.....06/05/10.....

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन/ जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

*9/6/10*

उप विकास आयुक्त,  
राँची।



रांची समाहरणालय,रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
विधायक निधि(सामान्य मद)

माननीय श्री जे०पी० गौलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची का होगा जो अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची उप विकास आयुक्त,रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	लपरा कोनका मुख्य पथ से बाजार जाने के रास्ते में मैकलुस्कीगंज थाना से पुल तक ग्रेड-1 पथ निर्माण	6.00	6.00	6.00
2.	लापुंग साईं ग्राम विकास समिति के समीप सामुदायिक भवन का जिर्णोद्धार, रंगाई-पुताई कार्य	4.00	4.00	4.00
				10.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-10.00 (कुल दस लाख रुपये मात्र)  
विमुक्त राशि :-10.00 (कुल दस लाख रुपये मात्र)

नोट-1. योजनाओ का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

शापांक- 47/02 / रांची दिनांक- 06/05/10

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री जे०पी० गौलस्टन/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर,विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

Geot  
उप विकास आयुक्त, रांची।

06/5  
उप विकास आयुक्त, रांची।



**रांची समाहरणालय, रांची**  
**(विकास शाखा)**  
**कार्यालय आदेश**  
**विधायक निधि(जल समृद्धि मद)**

माननीय श्री जे०पी० गॉलस्टन, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपमन्त्र,संघी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखण्ड-विकास-पदाधिकारी./अंचल/अधिकांश जिला अभियंता, जिला परिषद रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०पदा०/अ०पदा०/ जिला अभियंता, जिला परिषद रांची /उप विकास आयुक्त,रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	ईटकी प्रखण्ड के गड़गाँव तालाब में घाट नि०	8.00	8.00	8.00
2.	दोरदा बस्ती के पश्चिम में तालाब नि०	3.00	3.00	3.00
3.	ओरमाड़ी प्रखण्ड में दुदुम सरई टोला में तालाब निर्माण	3.00	3.00	3.00
4.	कोंके रोड स्थित हंसमार्ग मुहल्ला के अखौरी जी के घर के बगल में कलमर्त निर्माण	0.50	0.50	0.50
5.	कोंके ग्राम चेडी में कूप मरम्मत कार्य	0.75	0.75	0.75

15.25

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-15.25(कुल पन्द्रह लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि :-15.25(कुल पन्द्रह लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र)

नोट:-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

Eor  
उप विकास आयुक्त,  
रांची।

ज्ञापांक 431 / राँची दिनांक: 26/04/10

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री जे०पी० गॉलस्टन/जिला अभियंता,  
जिला परिषद राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

26/4/10  
उप विकास आयुक्त,  
राँची।

*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

...

...